कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या 3917 /अधिष्ठान/दो–29/2022 दिनांक 30 सितम्बर, 2022

<u>कार्यालयादेश</u>

शासन के पत्र संख्या–306/ix–1/2022–41/ix–1/2018 दिनांक 28–09–2022 के क्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–27 के अन्तर्गत परिवहन विभाग के अधीन सामान्य वार्षिक स्थानान्तरण हेतु प्रस्तावित स्थानान्तरण नीति पर कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 27–09–2022 में दी गयी संस्तुति के अनुसार परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु पात्र अधिकारियों/कार्मिकों तथा उपलब्ध एवं सम्भावित रिक्तियों की संशोधित सूची संलग्न कर विभाग की वैबसाइट पर प्रदर्शित की जा रही है।

2. प्रकाशित सूची मानकों के आलोक में मात्र पात्रता इंगित करती है और प्रकाशन का उद्देश्य प्रदत्त विवरण में त्रुटि, यदि कोई हो, ठीक किए जाने, विशिष्ट अनुरोध पत्र प्रस्तुत करने तथा अधिनियम अनुसार विकल्प प्रस्तुत करने हेतु पात्र कार्मिकों को अवसर सुलभ कराना है।

3. यह कदापि आवश्यक नहीं है कि पात्रता क्षेत्र में आने वाले सभी कार्मिकों का स्थानान्तरण किया ही जायेगा, वरन स्थानान्तरण हेतु नियत उपरी सीमा के आलोक में कार्यहित के दृष्टिगत न्यूनतम आवश्यक स्थानान्तरण किए जायेंगे।

4. पात्रता सूची में सम्मिलित किये गये समस्त अधिकारियों/कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–23(4) में विहित व्यवस्थानुसार इच्छित स्थानों के लिए प्रकाशित विवरण में अपेक्षित त्रुटि निराकरण, यदि कोई हो, हेतु अपना प्रतिवेदन तथा विकल्प/अनुरोध पत्र दिनांक 07–10–2022 तक अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को ई–मेल uktcoga@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(सनत कुमार सिंह)
संयुक्त परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

<u>संख्या–(1)/समदिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि अपने अधीनस्थ तैनात समस्त अधिकारी/कार्मिकों से इच्छित स्थानों के विकल्प प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. अधिष्ठान पत्रावली।
4. गार्ड फाईल।

(सनत कुमार सिंह)
संयुक्त परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।